न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र उका
2. कांतिलाल पुत्र उका
3. चुनीदेवी पत्नी रायमलराम जातियान माला
4. दरजाराम पुत्र रूडाराम जाति पुरोहित
5. दलाराम पुत्र उका जाति माली
6. दानाराम पुत्र रूडाराम
7. नटवरलाल पुत्र प्रतापाराम
8. नर्मदा पुत्री प्रतापाराम जातियान पुरोहित
9. प्यारीदेवी पुत्री उका जाति माली
10. पांचुदेवी पत्नी प्रतापाराम
11. पारसमल पुत्र प्रतापाराम जातियान पुरोहित
12. भबुताराम पुत्र उका
13. भलाराम पुत्र उका
14. मेतीदेवी पुत्री उका जातियान माली
15. मसराराम पुत्र प्रतापाराम जाति पुरोहित
16. राजाराम पुत्र उका जाति माली तमाम निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मृतक लेराराम पुत्र हुकमाराम जाति माली निवासी जेतपुरा के कायम मुकाम वारीसानः–
   1/1. मंछाराम
   1/2. शंकरराम
   1/3. दरजाराम पिसरान लेराराम
   1/4. हुआदेवी पत्नी लेराराम
   1/5. राजी पुत्री लेराराम
   1/6. अंतरी पुत्री लेराराम जातियान माली
2. मृतक रामा पुत्र सुरता जाति पुरोहित के कायम मुकाम वारीसानः–
   2/1. भवराराम
   2/2. रेवाराम
   2/3. चुनाराम
   2/4. कृष्ण
   2/5. पन्नाराम पिसरान रामा
   2/6. जेतीदेवी पत्नी रामा
   2/7. भीखीदेवी पुत्री रामा
   2/8. सविता पुत्री रामा जातियान पुरोहित
3. मृतक वगता पुत्र सुरता के कायम मुकाम वारीसानः–
   3/1. मंछाराम पुत्र वगता
   3/2. मृतक राजा पुत्र वगता के कायम मुकाम वारीसानः–
   3/2/1.परेश पुत्र राजा नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता अम्बा पत्नी राजा
   3/2/2. ममता पुत्री राजा
   3/2/3. अम्बा पत्नी राजा
   3/2/4. प्रकाश पुत्र राजा नाबालिंग अम्बा पत्नी राजा
   3/3. जेवी पत्नी वगता जातियान पुरोहित

अमृतलाल पुत्र हीरा

5. अर्जुनराम पुत्र लेरा
6. कमला पुत्री वेला
7. करसन पुत्र वेला

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

8. काली पुत्री हीरा
9. कीकाराम पुत्र लेरा
10. गणेशा पुत्र वेला
11. चन्दु पुत्र वेला,
12. चुनाराम पुत्र लेरा
13. झमका पुत्री लेरा
14. नर्मदा पुत्री वेला
15. पीरा पुत्र प्रेमला
16. बगदाराम पुत्र लेरा
17. बगदी पुत्री हीरा
18. बबी पत्नी लेरा
19. बाबु पुत्र वेला
20. मंजुदेवी पुत्री लेरा
21. मेतीदेवी पत्नी हीरा
22. वालाराम पुत्र वेला
23. विमला पुत्री हीरा
24. शंकरा पुत्र प्रेमला
25. सुकी पुत्री वेला
26. सविता पुत्री वेला
27. सोवनदेवी पुत्री लेरा जातियान भील तमाम निवासीयान जेतपुरा तहसील रानीवाडा
28. सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार जरिये पेपसिंह सुपरवाईजर मुख्यालय जेतपुरा
29. तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 2/1 के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
3. अप्रार्थी संख्या 29 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :—

दिनांक – 09.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा जेतपुरा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 253 रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा नबंर 254 रकबा 0.39 हेक्टेयर, खसरा नबंर 260 रकबा 0.94 हेक्टेयर, खसरा नबंर 261 रकबा 1.01 हेक्टेयर जुमले रकबा 2.84 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मौजा जेतपुरा के नवीन खसरा नबंर 253 रकबा 0.50 हेक्टेयर के पश्चिम दिशा में खसरा नबंर 250 रकबा 0.58 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन व दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नबंर 251 रकबा 0.12 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ओरण आई हुई है, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा दक्षिण दिशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

ही अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 252 रकबा 0.75 हेक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 फौत हो चुके है, जिसके कायम मुकाम वारीसान 1/1 से 1/7 बनाये गये है तथा पुर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 255 रकबा 1.03 हेक्टेयर किस्म नहरी प्रथम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 फौत हो चुके है, जिसके कायम मुकाम वारीसान 2/1 से 2/8 बनाये गये है तथा अप्रार्थी संख्या 3 भी फौत हो चुके है जिसके कायम मुकाम वारीसान 3/1 से 3/3 बनाये गये है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 254 रकबा 0.39 हेक्टेयर के पश्चिम दिशा में खसरा नबंर 250 रकबा 0.58 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आई हुई है, जिसकी खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज हैं तथा उक्त आराजी के उत्तर व पुर्व दिशा में आराजी खसरा नबंर 633/254 रकबा 0.15 हेक्टेयर व खसरा नबंर 643/255 रकबा 0.32 हेक्टेयर आई हुई है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 28 सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है। तथा पुर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 255 रकबा 1.03 हेक्टेयर किस्म नहरी प्रथम की आई हुई है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 तथा 3/1 से 3/3 के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 260 रकबा 0.94 हेक्टेयर के पश्चिम दिशा में आराजी खसरा नबंर 261/550 रकबा 0.14 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन व खसरा नबंर 260/549 रकबा 0.18 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है तथा दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नबंर 633/254 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है, जो अप्रार्थी संख्या 28 सिंचाई विभाग के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैतथा पुर्व दिशा में खसरा नबंर 258 रकबा 0.01 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आई हुई है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 तथा 3/1 से 3/3 के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 261 रकबा 1.01 हेक्टेयर के उत्तर दिशा में आराजी खसरा नबंर 262 रकबा 1.68 हेक्टेयर आई हुई है, जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 4 से 27 के नाम से दर्ज है तथा पश्चिम दिशा में आराजी खसरा नबंर 261/550 रकबा 0.14 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है तथा पुर्व दिशा में खसरा नबंर 258 रकबा 0.01 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/8 तथा 3/1 से 3/3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

2. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी के बीच की माठ को लेकर विवाद होने से तथा सीमा स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थी संख्या 3 ने उक्त आराजी की श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश से पैमाईश करवानी चाही। श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक/36 दिनांक 22.12.2021 की पालना में हल्का पटवारी धामसीन दिनांक 26.12.2021 को मौके पर पैमाईश हेतु पहुचे तो खातेदारों द्वारा हंगामा करने व विवाद की स्थिति पैदा होने से पैमाईश नहीं हो सकी। मौका फर्द दिनांक 26.12.2021 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजीयान की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 व 2/2 से [illegible] और से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थी संख्या 2/1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब नहीं देकर पत्थरगढी करवाने पर आपत्ति नहीं की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 29 की ओर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश नहीं कर बहस की गई।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2/1 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 29 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.12.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा जेतपूरा के खसरा नम्बर 253, 254, 260, 261 की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद जेतपूरा पटवार हल्का धामसीन के खसरा नम्बर 253, 254, 260, 261 रकबा 2.84 हेक्टेयर आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 16:57:07 IST
Reason: SelfAttested